स्पीड पोस्ट/फैक्स द्वारा

संख्या ए- A-12018/02/2014-एन.टी.एच.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

गैलरी संख्या 12/2, जामनगर हाऊस
नई दिल्ली-110011, दिनांक 03 मार्च, 2017

सेवा में,

महा निदेशक,
राष्ट्रीय परीक्षण शाला,
सेक्टर- V, सी0 पी0 ब्लॉक,
साल्ट लेक, कोलकाता-700 091

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – राष्ट्रीय परीक्षण शाला में प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 2016 के का॰ ज्ञा॰ संख्या एबी 14017/13/2016-स्थापना(आर.आर.) का सन्दर्भ देने और सा0का0नि0 सं0 33 दिनांक 02.02.2017 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3,उप-खंड (i) में अधिसूचित किए गए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु संशोधित भर्ती नियम, 2017 की एक प्रति अभिलेख और कार्यालय उपयोग के लिए भेजने का निदेश हुआ है। ये भर्ती नियम egazette.nic.in की वेबसाईट पर भी इस मंत्रालय के नाम से उपलब्ध हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त

(डी0 के0 सोनकर)
उप निदेशक (एन0टी0एच0)
दूरभाष: 23073612
ई-मेल: d-sonker@nic.in

प्रति:

1. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी क्षेत्रीय शाखाओं के निदेशक/वैज्ञानिक-प्रभारी।
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना (आर.आर.)प्रभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग [ध्यानाकर्षण: श्री बी.एस. हीट, अवर सचिव (आर.आर.)]
4. एल-1, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (राजभाषा) एवं (अंग्रेजी)।
5. संसद भवन पुस्तकालय, संसदीय सौध, संसद मार्ग, नई दिल्ली (दो प्रतियां)।
6. गार्ड फाईल

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2017, शनिवार/माघ 9—माघ 15, 1938

No. 04] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर के से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, स्टोर कीपर श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. Administrative Officer, National Test House -Chairman 2. Under Secretary or Deputy Director (National Test House)- Department of Consumer Affairs -Member 3. Administrative Officer (Grade-II) , National Test House of the Region-Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/6/2013 – NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रशासनिक अधिकारी	01* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700-208700/- रुपये	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
संयुक्त पद्धति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकायों या कानूनी निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अनुसन्धान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अधीन अधिकारी, जो :- **(क)** (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 10, 56100-177500/- रुपये में के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और **(ख)** नीचे यथाविहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्त या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन और स्थापना कार्य में पांच वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण- 1 :** वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 10, 56100-177500 रुपये में के विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी-1) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो पर भी बाहरी व्यक्तियों से साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर उनका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति से भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स में सामान्य स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-12018/2/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Administrative Officer, Group Á' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the post, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	01* (2017) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial .	Level 11 in the Pay Matrix Rupees 67700-208700.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil	Composite method (deputation including short term contract) plus promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(11)
Composite method (promotion/deputation (including short term contract): Officers under the Central Governments/State Government/Union territories/autonomous bodies/statutory bodies/public sector undertakings/research institutions/Universities :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years' regular service in posts in the pay level 10 in the pay matrix Rupees 56100-177500 ; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed as under: (i) degree of a recognised University or Institute; and (ii) five years' experience in accounts, administration and establishment work in a Government office or public sector undertakings or autonomous or statutory body. **Note 1:** The Departmental Administrative Officer (Grade I) in the pay level 10 in the pay matrix Rupees 56100-177500 with five years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2.** The period of deputation including the period of deputation in another ex – cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/02/2014 – NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)